दूरभाष / TELEPHONE : 91-22-2599 0100 / 0101
फैक्स / FAX : 91-22-2599 0650, 2558 3230
वेबसाइट / WEBSITE : www.aerb.gov.in

नियामक भवन / NIYAMAK BHAVAN,
अणुशक्तिनगर / ANUSHAKTINAGAR,
मुंबई / MUMBAI-400 094.

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद
ATOMIC ENERGY REGULATORY BOARD

ISO 9001:2008

Radiological Safety Division

Dr. A U. Sonawane
Head, RSD

Ph: 022-25990656, Fax: 022-25990650

Ref No. AERB/RSD/IR-RFs/ 2015/3299

May 7, 2015

Sub: *Actions for disposal* of Non-Type Approved industrial gamma radiography exposure devices (IGREDs)

Dear Sir / Madam,

All the radiography institutions possessing Non-Type Approved IGREDs model ROLI-1, Techops-660 / Amertest-660, Gammavolt, Teletron and old Gammamat are hereby notified as under:

(i) The above IGREDs do not meet the current requirement of Type – B transport container (i.e. does not possess valid Type –B certificate) and the design standard on "Radiation Protection-Apparatus for Industrial Gamma Radiography-Specifications for performance, design and tests" ref: AERB/RF-IR/SS-1(REV.1), 2007" or "ISO 3999:2000(E)".

The manufacturers / suppliers of all these devices have stopped the supply of original spare parts required during their maintenance and servicing. Therefore, in the absence of valid Type –B certificate and non-availability of critical spare parts, above IGREDs need to be disposed off by radiography institutions, in any case before **31-12-2015** by returning these IGREDs containing sources to BRIT, Mumbai.

(ii) Licence issued so far by the Competent Authority for possession and handling of Non-Type Approved IGREDs model ROLI-1, Techops-660 / Amertest-660, Gammavolt, Teletron and Gammamat will not be renewed by AERB after **31-12-2015**.

(iii) AERB will not issue any transport / movement approval / source procurement authorizations for the above IGREDs after **31-12-2015**.

(iv) The radiography institutions and supplier of the above IGREDs shall ensure that these IGREDs are finally disposed off within the above stipulated period. For disposal of the above IGREDs, obtaining prior approval from AERB is essential.

(v) With regard to IGRED model ROLI-1, AERB has no objection to use these IGREDs for industrial radiography purposes till December 2015. However, the transport of ROLI-1 devices and procurement of maximum source strength in ROLI-1 devices shall be in accordance with Type-A package requirements (i.e. maximum 27Ci of Ir-192 can be loaded).

(vi) Possession of above IGREDs with source after **31-12-2015** by any institutions will be treated as non-compliances and may lead to initiations of appropriate regulatory actions against such institutions.

All the concerned industrial radiography institutions are therefore requested to comply with the above notification and initiate effective steps for procurement of alternate AERB Type Approved IGREDs. It shall be noted that AERB shall not be held responsible for any inconveniences caused in this regard, arising from failure to comply with the above requirement which is issued with an objective to prevent any untoward radiological incidents involving above IGREDs and in the interest of radiological safety of occupational workers, members of the public and the environment.

This is issued with the approval of the Competent Authority.

(A.U. Sonawane)

Distribution:

(i) *Concerned Industrial Radiography Institutions*

(ii) *Electronic & Engineering Co. (I) P. Ltd., 8, 2nd Floor, Jyoti Wire House, Off Veera Desai Road, Andheri (W), Mumbai 400 053*

Copy to:

Chairman, AERB

Vice Chairman, AERB

Chief Executive, BRIT, BRIT / BARC Vashi Complex, Sector-20, Vashi, Navi Mumbai-410703

Webmaster, AERB: with a request to upload this notification to our website (www.aerb.gov.in)

दूरभाष / TELEPHONE : 91-22-2599 0100 / 0101
फैक्स / FAX : 91-22-2599 0650, 2558 3230
वेबसाइट / WEBSITE : www.aerb.gov.in

नियामक भवन / NIYAMAK BHAVAN,
अणुशक्तिनगर / ANUSHAKTINAGAR,
मुंबई / MUMBAI-400 094.

सत्यमेव जयते

ISO 9001:2008

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद
ATOMIC ENERGY REGULATORY BOARD
विकिरण सरक्षा प्रभाग

डॉ. ए. यू. सोनावणे
प्रमुख, आरएसडी

फोन : 022-25990656, फैक्स :022-25990650

संदर्भ संख्या : एईआरबी/आरएसडी/आईआर-आरएफ/2015/ 3299

मई 07, 2015

विषय : गैर टाइप अनुमोदित औद्योगिक गामा रेडियोग्राफी उद्भासन उपकरण (आईजीआरईडी) के निपटान हेतु कार्रवाइयाँ

प्रिय महोदय,

सभी रेडियोग्राफी संस्थान जिनके स्वामित्व में गैर टाइप अनुमोदित आईजीआरईडी मॉडल रोली-1, टेकोप्स-660/ एमरटेस्ट-660, गामावोल्ट, टेलीट्रान और ओल्ड गामामैट हैं, उन्हें निम्नानुसार सूचित किया जाता है :

(i) उक्त आईजीआरईडी टाइप-बी ट्रॉसपोर्ट कंटेनर की वर्तमान आवश्यकता को पूरा नहीं करते हैं (उन्हें विधिमान्य टाइप-बी प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं है) । वे "विकिरण संरक्षण-औद्योगिक गामा रेडियोग्राफी हेतु उपकरण- कार्य निष्पादन, डिजाइन और परीक्षण संबंधी विनिर्देश"- संदर्भ:एईआरबी/आरएफ-आईआर/एसएस-1(संशोधित-1) 2007" या "आईएसओ 3999: 2000 (ई)" की आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं करते हैं।
इन सभी उपकरणों के विनिर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं ने उनके रख-रखाव और सर्विसिंग के दौरान आवश्यक मूल अतिरिक्त पुर्जों की आपूर्ति बंद कर दी है। अत: विधिमान्य टाइप-बी प्रमाणपत्र न होने और अत्यावश्यक अतिरिक्त पुर्जों की अनुपलब्धता के कारण रेडियोग्राफी संस्थानों द्वारा उक्त आईजीआरईडी का निपटान, स्रोत सहित आईजीआरईडी को, ब्रिट, मुंबई को वापस लौटाते हुए किया जाना है जो कि दिनांक 31.12.2015 तक हर हाल में पूरा कर लिया जाना चाहिए।

(ii) गैर टाइप अनुमोदित आईजीआरईडी मॉडल रोली-1, टेकोप्स-660/ एमरटेस्ट-660,गामावोल्ट, टेलीट्रान और गामामैट का स्वामित्व एवं उसके प्रहस्तन हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अबतक जारी किये गये लाइसेंसों का नवीकरण, एईआरबी द्वारा दिनांक 31.12.2015 के बाद नहीं किया जायेगा।

(iii) एईआरबी दिनांक 31.12.2015 के बाद उक्त आईजीआरईडी के लिए, परिवहन/मूवमेन्ट अनुमोदन/स्रोत प्रापण संबंधी अनुमोदन जारी नहीं करेगा।

(iv) उक्त आईजीआरईडी के रेडियोग्राफी संस्थान एवं आपूर्तिकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि संदर्भित आईजीआरईडी का निपटान उक्त उपबंधित अवधि के भीतर कर दिया जायेगा । इस निपटान हेतु एईआरबी से पूर्व अनुमोदन लिया जाना आवश्यक है।

(v) आईजीआरईडी माडल रोली-1 के संबंध में उल्लेखित है कि औद्योगिक प्रयोजनों के लिए इन आईजीआरईडी का प्रयोग दिसंबर 2015 तक किया जा सकता है और उस अवधि तक उनके प्रयोग को लेकर एईआरबी की ओर से कोई आपत्ति नहीं होगी । तथापि, रोली-1 उपकरणों का परिवहन तथा उनमें अधिकतम स्रोत क्षमता का प्रापण टाइप-ए पैकेज की आवश्यकताओं के अनुरूप होगा (अर्थात Ir-192 का अधिकतम 27 Ci लोड किया जा सकता है)

(vi) दिनांक 31.12.2015 के बाद किसी भी संस्थान के स्वामित्व में स्रोत सहित उक्त आईजीआरईडी का होना अननुपालन माना जायेगा और ऐसे संस्थानों के खिलाफ उचित नियामक कार्रवाई की जा सकती है।

अत: सभी संबंधित औद्योगिक रेडियोग्राफी संस्थानों से अनुरोध किया जाता है कि उक्त अधिसूचना का पालन करें तथा वैकल्पिक एईआरबी टाइप अनुमोदित आईजीआरईडी के प्रापण हेतु प्रभावी उपायों संबंधी कार्रवाई शुरू करें । कृपया ध्यान दें कि उक्त आवश्यकताओं संबंधी सूचना आईजीआरईडी को शामिल करती हुई किसी अप्रिय विकिरण घटना की रोकथाम के उद्देश्य से और साथ ही, व्यावसायिक कार्मिक, जनसामान्य और पर्यावरण के हित मे जारी की गई है और इन आवश्यकताओं का पालन न कर पाने की दशा में उत्पन्न होनवाली किसी प्रकार की असुविधा के लिए एईआरबी ज़िम्मेदार नहीं होगा ।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(ए.यू.सोनावणे)

<u>वितरण</u>

(i) संबंधित औद्योगिक रेडियोग्राफी संस्थान

(ii) इलेक्ट्रानिक एन्ड इंजिनियरिंग कंपनी (आई) प्रा.लिमिटेड, 8, दूसरा तल, ज्योति वायर हाउस, आफ वीरा देसाई रोड, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई 400 053

प्रतिलिपि :

अध्यक्ष, एईआरबी
उपाध्यक्ष, एईआरबी
मुख्य कार्यकारी, ब्रिट, ब्रिट/बीएआरसी वाशी कांप्लेक्स, सेक्टर-20, वाशी, नवी मुंबई-410703
वेबमास्टर, एईआरबी : इस अनुरोध के साथ कि इस अधिसूचना को हमारी वेबसाइट पर अपलोड करें (www.aerb.gov.in)